

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी  
सोमवार, 20 जुलाई, 1998 / आषाढ़ 29, 1920

संख्या : 411

सदस्यों की नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त  
उत्तरी जिला, नई दिल्ली का निम्नलिखित संदेश दिनांक 17.07.98 को प्राप्त हुआ :-

"मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा  
के सदस्य सर्वश्री मुकेश शर्मा, जय किशन, जगप्रवेश चन्द्र, डा. ए. के. वालिया  
श्रीमती कृष्णा तीरथ एवं श्रीमती ताजदार बाबर को दिल्ली पुलिस  
अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत दिनांक 16.07.98 को पूर्वाह्न  
11.30 बजे, मेटकॉफ हाऊस से नज़रबंद किया गया।

उन्हें उसी दिन अर्थात् दिनांक 16.07.98 को अपराह्न 12.15 बजे,  
रिहा कर दिया गया।"

पी. एन. गुप्ता  
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)

Monday, July 20, 1998 / Ashada 29, 1920 (Saka)

No.411

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received from Addl. Deputy Commr. of Police, North District, New Delhi on 17.07.98 :-

" I have the honour to inform you that S/Shri Mukesh Sharma, Jai Kishan, Jag Parvesh Chandra, Dr.A.K. Walla, Smt. Krishna Tirath and Smt. Tajdar Babar, Members of Legislative Assembly, Delhi were detained from Metcalfe House, Delhi u/s 65 of Delhi Police Act, on 16.7.98 at 11.30 A.M.

They were released at 12.15 P.M. on the same day i.e.16.7.1998."

P.N. GUPTA  
SECRETARY